यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय हल्द्वानी के माह 02/2017 से 12 /2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09-01-2018 से 14-01-2018 तक श्री लोकेश दताल, सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार एवं श्री अरविंद शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री दया शंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.12.2017 से 13.12.2017 तक श्री डी0एन0मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था। जिसमे माह 04/2012 से 01/2017 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गयी थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः गर्भवती एवं अन्य महिलाओ का उपचार, प्रसव, बच्चो का टीकाकरण, परिवार कल्याण संबंधी सेवाये दी जाती हैं।

इकाई द्वारा राज्य सरकार, यूजर चार्जेस एन° एच° एम°, जननी सुरक्षा योजना, प्रतिरक्षण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आयुष्मान योजना।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**समर्पण राशि**	**बचत (-) ₹**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**		
2015-16	00	90.24	312.15	276.16	220.19	201.57	35.99	108.86
2016-17	00	108.86	298.60	297.40	222.06	229.75	1.28	101.09
2017-18	00	101.08	380.38	379.68	196.10	184.05	0.91	112.94
2018-19 (12/2018)तक	00	112.93	318.70	303.53	136.82	105.85	-	143.79

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य(+) ₹	बचत(-) ₹
2015-16	RCH+NRHM+IMMUNISATION	48.72	119.55	127.11	41.23
2016-17	RCH+NRHM+IMMUNISATION	41.23	138.17	152.57	26.84
2017-18	RCH+NRHM+IMMUNISATION	26.84	112.51	100.14	39.22
2018-19 (12/2018)तक	RCH+NRHM+IMMUNISATION	39.22	84.58	59.32	64.49

(iii) इकाई को जिला योजना , राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी स के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

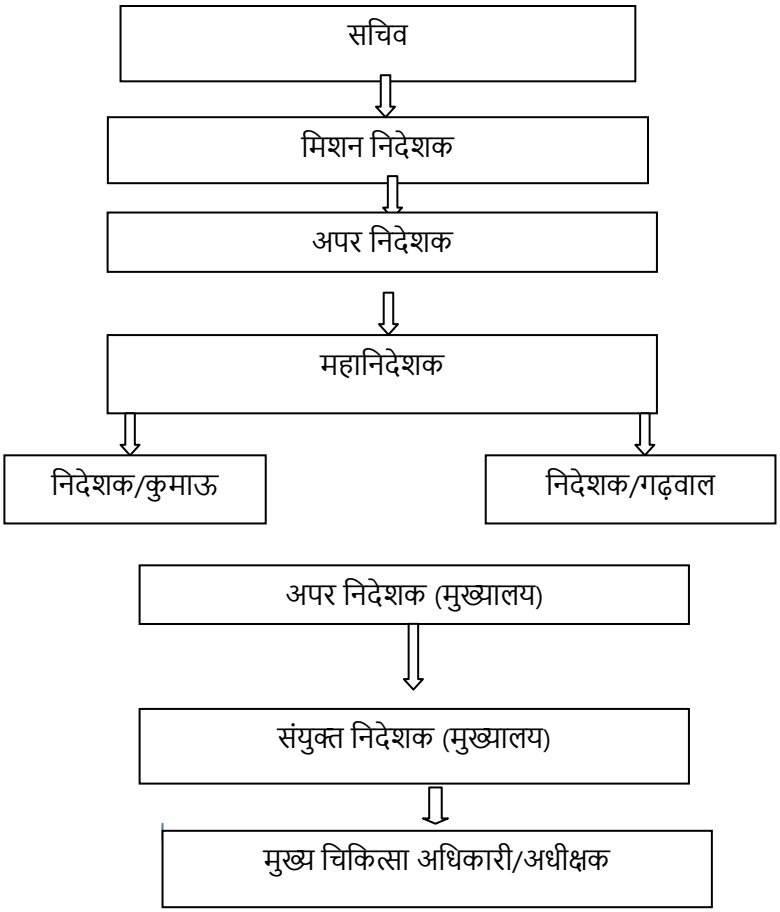

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में गर्भवती एवं अन्य महिलाओ का उपचार, प्रसव, बच्चो का टीकाकरण, परिवार कल्याण संबंधी सेवाये एवं लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन खंड मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **02/2017** एवं **03/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय

जननी सुरक्षा योजना, औषधि क्रय, वेस्ट सामग्री, भवन निर्माण आदि) का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 औषधि की स्थानीय क्रय रु 33.07 लाख मे निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन न किया जाना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार यदि खरीद रु 3.00 लाख से ऊपर की हो तो निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये। तथा उत्तराखंड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति के अंतर्गत भी यह स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 103 औषधियो को छोड़कर शेष समस्त औषधियो के टेंडर कराये जायेगे। तथा औषधि क्रय करते समय विगत तीन वर्षो का टर्न ओवर का भी ध्यान रखा जायेगा।

अभिलेखो की जांच मे देखा गया कि महिला चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2017-18 मे रु 21.51 लाख और वर्ष 2018-19 मे रु 11.52 लाख की खरीद रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कोटेशन/मार्केट सर्वेक्षण द्वारा औषधियो की स्थानीय क्रय की गयी। जो उत्तराखंड क्रय अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन था।

इस संबंध मे इकाई द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय प्रबंध समिति की संस्तुति पर यथासमय औषधियो/सामग्रियों को आकस्मिकता पर स्थानीय व्यवस्था पर नियमानुसार क्रय की जाती है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि औषधियो की स्थानीय खरीद एक नियमित प्रक्रिया थी। जिसके लिये इकाई को उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया।

अतः औषधि की स्थानीय क्रय रु 33.07 लाख मे निविदा प्रक्रिया का पालन न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर –2- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में।

छठे वेतन अयोग के शासानादेश स.395/xxxii (7) /2008 दिनांक 17.10.2008 के दिशा निर्देश के बिन्दु स 12 (1 एवं 2) के अनुसार कार्मिको के संशोधित वेतन ढांचे मे पदोन्नति दो प्रकार से हो सकती है 1- एक ही वेतन बैंड मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति 2- एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड मे पदोन्नती ।

दिनांक 01 जनवरी,2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढांचे मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति की स्थिति मे वेतन निर्धारण वेतन बैंड मे वेतन मे अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 % की धनराशि गुणक कर के इस धनराशि को वेतन बैंड मे मौजुदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड मे वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद के समकक्ष ग्रेड वेतन मे वेतन प्रदान किया जायेगा। जंहा पदोन्नती मे वेतन बैंड मे परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति मे इसी प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि पदोन्नती के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि ज़ोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड मे वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड मे न्यूनतम के बराबर बढा दिया जायेगा ।

शासानादेश स. 2084/xxxii-32013 दिनांक 31.12.2013 के दिशा निर्देश के अनुसार चिकत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग वेतनमान मे उच्चीकृत /संशोधन किया गया था। जिसका विवरण निम्नावत है-

क्रम0 स0	**पदनाम**	**वर्तमान वेतनमन (ग्रेड वेतन) ₹**	**प्रस्तावित वेतनमान /ग्रेड वेतन**
1	फर्मासिस्ट Entry Grade	रु.5200-20200 GP2800	रु.9300-34800 GP रु.4200
2	फर्मासिस्ट 2 वर्ष की सेवा के उपरांत	रु.9300-34800 GP रु.4200	रु.9300-34800 GP रु.4600
3	चीफ़ फर्मासिस्ट	रु.9300-34800 GP रु.4600	रु.15600-39100 GP रु.5400
4	प्रभारी अधिकारी (फार्मासिस्ट)	रु.9300-34800 GP रु.4800	रु.15600-39100 GP रु.6600
5	विशेष कार्य अधिकारी (फार्मासिस्ट)	रु.15600-39100 GP रु.5400	रु.15600-39100 GP रु.7600

कार्यालय मे कार्यरत तीन चीफ़ फार्मासिस्टो श्रीमती बसन्ती त्रिरुवा, श्री एन.के. आजाद एवं श्री विमल चन्द्र पाण्डे की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर यह पाया गया कि दिनांक 31.12.2013 को किया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था।

उक्त तीनों चीफ़ फार्मासिस्ट की सेवा पुस्तिका की नमूना जांच करने पर यह पाया गया कि वेतन बैंड -3 ग्रेड वेतन रु 5400 वेतन बैंड (15600-39100) से संशोधन होने पर ग्रेड वेतन रु. 7600 वेतन बैंड(15600-39100) का न्यूनतम (21900+7600=29500) पर वेतन निर्धारण किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के कारण माह 12/2013 से माह 12/2018 तक उक्त तीनों कार्मिकों के वेतन पर अधिक वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया गया।

त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के संबंध मे लेखा परीक्षा दल द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की जाती है। बताया कि स्पष्ट आदेश ना होने के कारण वेतन निर्धारण किया गया इस संबंध में इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वित्त विभाग के आदेश स. 41/xxxv (7) सी.म/2009 दिनांक 13.2.2009 के अनुसार उक्त सभी चीफ फर्मासिस्टो की 7 वे वेतन आयोग की एरियर की द्वितीय किश्त की राशि को रोक दिया गया है । उत्तर मान्य नहीं है क्योकी शासन के आदेश सं.41/xxx/7/ दिनांक 13.2.2009 उन कार्मिको पर लागू होता है। जिनकी नियुक्ति वर्ष 1.1.2006 की हो अथवा उसके बाद की नियुक्ति हो। उक्त तीनों चीफ़ फार्मासिस्टो की नियुक्ति वर्ष 1.1.2006 के पूर्व की है। अतः उक्त शासनादेश का लाभ इन फर्मासिस्टो पर लागू नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य मे महानिदेशक स्वास्थ विभाग उत्तराखंड द्वारा माह 12/2018 को जारी अपने आदेश मे त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण एरियर की द्वितीय किश्त की राशि रोक दी है। जिस से यह स्पष्ट है कि फार्मासिस्टो को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर लाभ पहुँचाया गया। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के प्रकरण की समीक्षा हेतु प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- 70 बेड के अतिरिक्त चिकित्सालय के हस्तांतरण के बगैर संचालन ।

शासनादेश सं0 416(1)XXX VIII/2008-III/2008 दिनांक 16.03.2009 के अंतर्गत 70 बेड के अतिरिक्त चिकित्सालय का निर्माण हेतु मूल प्राकलन रु 354.95 लाख का गठन किया गया था । जिसका पुनरीक्षित प्रांकलन 480/XXVIII-5-2014-111/2008 दिनांक 24.03.2014 द्वारा रु 670.13 लाख का स्वीकृति किया गया था। योजना मे मुख्य चिकित्सालय भवन का बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल का कार्य किया जाना था। साथ ही रैंप तथा 2 नग लिफ्ट का प्राविधान, फायर फाइटिंग का प्राविधान, तथा मुख्य रोड से अप्रोच रोड, गेट तथा गार्ड रूम का कार्य किया जाना था। माह 06/2018 के अनुसार स्वीकृत लागत रु 670.13 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निर्माण इकाई को अवमुक्त कर दी गयी थी। जिसकी अंतिम किस्त मार्च 2018 मे प्राप्त हो गयी थी। किन्तु निरीक्षण मे कई कमियाँ पायी गयी थी जिसका निराकरण नही किया गया। अभिलेखो के अनुसार 20.11.2018 को भवन का उदघाटन कर बिना कमियो का निस्तारण किये और बगैर हस्तांतरण के भवन संचालित किया जा रहा है।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.11.2018 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उदघाटन के उपरांत उच्चाधिकारिओ के मौखिक निर्देश पर चिकित्सालय नये भवन मे संचालित किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि भवन का उदघाटन/संचालन कमियो के दूर करने और हस्तांतरण के पश्चात ही किया जाना चाहिये था। जिससे भविष्य मे होने वाली किसी भी प्रकार कि आकस्मिक हानि से बचा जा सके।

अतः 70 बेड के अतिरिक्त चिकित्सालय के हस्तांतरण के बगैर संचालन का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- जननी सुरक्षा योजना मे लाभार्थियों को रु 93,600/- का लंबित भुगतान।

एनएचएम के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम करना और बीपीएल परिवार मे संस्थागत प्रसव को बढ़ाना था। योजना के तहत ग्रामीण महिला को रु 1400/- एवं शहरी महिला को रु 1000/- की नगद सहायता प्रसव के तुरंत बाद मिलनी थी जिससे की गरीब महिला को प्रसव के बाद तुरंत आर्थिक सहायता मिल सके। और जच्चा बच्चा दोनों का पोषण अच्छे ढंग से हो सके। साथ ही आशा कार्यकर्ता को भी शहरी क्षेत्र हेतु रु 400/- एवं ग्रामीण क्षेत्र मे रु 600/- की प्रोत्साहन राशि मिलनी थी। जो 50-50 प्रतिशत के रूप मे जांच के समय एवं प्रसव के पश्चात आशा कार्यकर्ता को दी जानी थी।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महिला चिकित्सालय द्वारा रु 93,600/-[1] के ऐसे भुगतान जो लाभार्थी महिलाओ को किये जाने हेतु बैंक को प्रेषित किये गये थे, तकनीकी कारणो से बैंक द्वारा बिना भुगतान के अस्पताल को वापिस कर दिया गया था। जिनको पुनः भुगतान हेतु अस्पताल कार्यालय द्वारा वर्तमान तक कोई प्रयास नहीं किया गया। जिस कारण वह लाभार्थी भी जेएसवाई के अंतर्गत पाये जाने वाली आर्थिक सहायता से वंचित थे । तथा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव के समय आर्थिक सहायता दिया जाना था, जिसकी पूर्ति नहीं हो पायी।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि खातो का पुनः सत्यापन कर दिया गया है। परंतु बजट अब उपलब्ध हुआ है। इनके भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव के तुरंत बाद महिला को आर्थिक सहायता मिलनी थी। तथा धनराशि वापिस होने के पश्चात इन लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देने मे प्राथमिकता देनी चाहिये थी,जिससे प्रसव के तुरंत बाद का लाभ मिल सके,जो इकाई द्वारा नहीं दी गयी।

अतः रु 93600/- के लंबित भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

---

[1] 03/2018 के पूर्व रु 66800/- एवं 09/2018 के पूर्व रु 26800/-

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
103/2008-09	**----**	1,	---
122/2012-13	**----**	1,2	---
153/2016-17	**----**	1,2,3,4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
अनुपालन आख्या संस्तुति हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की गयी थी । जिसकी संस्तुति अपेक्षित थी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

2. **शून्य**

3. **सतत् अनियमितताएः**

"शून्य"

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 भागीरथी जोशी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	09.09.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सा. क्षे.